संख्या-02/2022/ आई/140733/2022/10-19099/7/2022-22

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 दिनांक 16 फरवरी, 2022

विषय: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के प्रयोजनार्थ "वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज" के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में "चालू खाता" खोला जाना।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा अनुदानित उच्च शिक्षण संस्थाओं के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित शिक्षकों/शिक्षणेतर कार्मिकों से संबंधित अधोलिखित मामलों में ट्रस्टी बैंक द्वारा राज्य सरकार को धनराशियां वापस की जायेंगीः-

(1)-राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित किसी शिक्षक/शिक्षणेतर कार्मिक द्वारा त्याग पत्र दे दिये जाने अथवा उसे पदच्युत कर दिये जाने पर शासनादेश संख्या-सा-3-465/दस-2014-301(9)/11 दिनांक 19-05-2014 तथा शासनादेश संख्या सा-3/1192/दस-2016 दिनांक 14-01-2016 के अनुसार।

(2)- एन0पी0एस0 से आच्छादित किसी शिक्षक/शिक्षणेतर कार्मिक की सेवा काल में मृत्यु हो जाने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी विषयक शासनादेश संख्या-13/सा-3-180/दस-2016-301(9)-2011 दिनांक 19-05-2016 के प्रावधानों के अधीन उसके परिवार द्वारा पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी की सुविधा का वरण किये जाने पर।

(3)- शासनादेश संख्या-सा-3/1671/दस-2010-301(9)-2003 टी0सी0 दिनांक 16 सितम्बर 2010 तथा शासनादेश संख्या-सा-13-सा-3-393/दस-2014-301(23)-2014 दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 के प्रस्तर-1 के अनुसार पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किसी शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कार्मिक के वेतन से की गयी कटौतियों के मामलों में।

(4)- एन0पी0एस0 से आच्छादित किसी शिक्षक/शिक्षणेतर कार्मिक के PRAN में नियोक्ता (राज्य सरकार) अंशदान के रूप में अनुमन्य धनराशि से अधिक जमा धनराशि के मामलों में।

उपरोक्त सभी मामलों में अनुदानित उच्च शिक्षण संस्थाओं के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित शिक्षकों/शिक्षणेतर कार्मिकों के एन0पी0एस0 खातों (PRAN) में जमा सम्पूर्ण धनराशि अर्थात अभिदाता अंशदान, नियोक्ता अंशदान तथा उन पर रिटर्न की संचित धनराशियां "वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश" के पदनाम से खोले गये बैंक खाते में ट्रस्टी बैंक द्वारा स्थानान्तरित की जायेगी।

2- उक्त बैंक खाते के संचालन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी-

(1) बैंक खाते का संचालन "डुअल सिग्नेटरी" द्वारा किया जायेगा। इस हेतु वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज तथा उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के समूह 'क' के एक अधिकारी को प्रशासकीय विभाग द्वारा अधिकृत किया जायेगा।

(2) "वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश" के पद नाम से खुले बैंक खाते में ट्रस्टी बैंक से धनराशि प्राप्त होने पर ऐसे मामले जिनमें अभिदाता अंशदान का भुगतान अभिदाता को किया जाना है, उनमें अभिदाता अंशदान (रिटर्न सहित) की राशि वित्त नियंत्रक द्वारा अभिदाता के बैंक एकाउण्ट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर द्वारा अन्तरित कर दी जायेगी।

(3) राजकोष में जमा की जाने वाली राशि ई-राजकोष का प्रयोग करते हुए अथवा चालान के माध्यम से राजकोष के सुसंगत प्राप्ति लेखाशीर्ष में जमा करायी जायेगी।

(4) "वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज," द्वारा उक्त बैंक खाते में जमा/ भुगतान का लेखा-जोखा रखा जायेगा।

(5) "वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज," द्वारा प्रत्येक माह ट्रस्टी बैंक से प्राप्त धनराशि, अभिदाता के बैंक खाते तथा राजकोष में जमा की गयी धनराशि का मिलान सुनिश्चित किया जायेगा।

3- कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- सी0ई0ओ0, पेंशन फण्ड रेग्युलेटरी एण्ड डेवलेपमेण्ट अथॉरिटी, नई दिल्ली।
3- महाप्रबन्धक, एन0पी0एस0ट्रस्ट, तीसरी मन्जिल, छत्रपति शिवाजी भवन, बी-14/ए, कुतुब इंस्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016
4- एक्सिस बैंक लि0 (ट्रस्टी बैंक), कॉर्पोरेट ऑफिस, 6वीं मंजिल, बिजनेस बैंकिंग डिपार्टमेंट, वाडियॉ इन्टरनेंशनल सेन्टर, पी0बी0मार्ग, बर्ली, मुम्बई-**400025**
5- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरानगर, लखनऊ।
8- समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।